

भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके विधवाओं को अपनी जमीन पर व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्टॉल (KIOSK) बनाने हेतु एकीकृत निधि से ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये) मात्र की आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।

भाग - "क"

(आवेदक/आवेदिका का विवरण)

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ).....
भूतपूर्व सैनिक/पति का न० रैंक नाम
- अलंकरण
2. अभिलेख कार्यालय/रेजीमेंट/कार
3. सेना में भर्ती की तिथि
4. सेना से सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि
5. सेना से निवृत्ति का कारण
6. प्राप्त पेंशन की राशि
7. अवस्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम
8. स्टॉल (KIOSK) बनाने हेतु प्राक्कलित लागत राशि
9. ग्राम प्रधान/वार्ड आयुक्त द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
10. स्थाई पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर छायाप्रति संलग्न करें) :
ग्राम पोस्ट जिला
- पिन मोबाईल सं०

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि स्टॉल का निर्माण अपने जमीन में कर रहा/रही हूँ और वह मेरे दखल में है।

दिनांक :

भूतपूर्व सैनिक/आवेदिका का हस्ताक्षर एवं नाम

नाम :

नोट : आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें :-

- | | |
|---|---|
| 1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति | 2. पेंशन अदायगी आदेश (PPO) की छायाप्रति |
| 3. आधार कार्ड की छायाप्रति | 4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र |
| 5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति | 6. मुखिया द्वारा प्रदत्त कुर्सीनामा |
| 7. प्रखण्ड कार्यालय द्वारा इस मद में आर्थिक सहायता न दिये जाने का प्रमाण पत्र | |

खण्ड - "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

11. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया/सही नहीं पाया गया है। इस आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक :

(कल्याण व्यवस्थापक का नाम एवं हस्ताक्षर)

(जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा)

12. कल्याण व्यवस्थापक श्री के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹ / - (रूपये.....मात्र) एक मुश्त भुगतान करने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड - "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

13. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची

14. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹(रूपये मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची